रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269479
SG-DL-E-21012026-269479

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 412
No. 16] DELHI, WEDNESDAY JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947 [N. C. T. D. No. 412

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

फा.सं. 10(39)/पया./2021/8297.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अंतर्गत चरण III (गंभीर) तथा चरण IV (गंभीर +) लागू होने पर दिल्ली में मौजूदा वाहन पार्किंग शुल्क को दोगुना करने के लिए दिनांक 4 फरवरी, 2025 को फा0सं0 10(39)/पर्या0/2021/7150–66 के माध्यम से संलग्न निर्देश जारी किए गए तथा आगे संशोधन निर्देश दिनांक 03 दिसंबर, 2025 की फा0सं0 10(39)/पर्या0/2021/6827–43 के माध्यम से जारी किए गए, जिसमें निर्देश दिया गया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थलों, जो आवश्यक सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी तथा पार्क–एवं–राइड सुविधाएं प्रदान करते हैं, को पार्किंग शुल्क बढ़ाने से संबंधित उपरोक्त निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट दी जाएगी।

संलग्न निर्देश तथा उसके संशोधन को आम जनता की जानकारी के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव (पर्यावरण)

अनुलग्नक

पर्यावरण एवं वन विभाग

दिल्ली, 4 फरवरी, 2025

विषयः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अंतर्गत चरण III (गंभीर) तथा चरण IV (गंभीर+) लागू होने पर दिल्ली में मौजूदा वाहन पार्किंग शुल्क को दोगुना करने के निर्देश।

फा.सं. 10 (39)/पर्या0/2021/7150–66.—जबकि, दिल्ली में विशेषकर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा वायु प्रदुषण होता है तथा पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन (पीएम 2.5 और पीएम 10) जैसे प्रदुषकों का स्तर परिवे"ाी वायु गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों से कहीं ज़्यादा हो जाता है।

और जबकि, संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उप धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 20.02.1987 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 106 (ई) के द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।

और जबकि, एनसीआर और आस–पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदुषण से जुड़े मामले को बार–बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और विभिन्न संगठनों के साथ उठाया है तथा समय–समय पर एनसीआर में वायु प्रदुषण कम करने के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक निर्देष, परामर्शी तथा आदेश जारी किए हैं।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.07.2023 की निर्देश संख्या 75 के द्वारा संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) सहित निर्देश संख्या 75 जारी किया है, जो दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार चरणों को परिभाषित करता है। अर्थात् क्रमशः चरण I–खराब (एक्यूआई 201–300), चरण II–बहुत खराब (एक्यूआई 301–400), चरण III–गंभीर (एक्यूआई 401–450) तथा चरण IV–गंभीर+ (एक्यूआई > 450) उसके पश्चात् दिनांक 06.10.2023 एवं संशोधन दिनांक 13.12.2024 की निर्देश संख्या 77 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है।

और जबकि, सीएक्यूएम ने निर्देश संख्या 77 के साथ पठित तथा अपने निर्देश संख्या 75 को दिनांक 13.12.2024 के सं"ाोधन द्वारा जीआरएपी चरण II–'बहुत खराब' के लागू होने के दौरान "निजी परिवहन को रोकने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क बढ़ाने" का निर्देश दिया है।

और जबकि, जुलाई 2022 में जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु नियंत्रण नीति के लिए सीएक्यूएम नीति में पार्किंग नीति और पार्किंग प्रबंधन के लिए अलग–अलग वाहन रोकने के उपायों हेतु दिशा–निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें पार्किंग शुल्क में भारी बढ़ोतरी के साथ परिवहन मांग प्रबंधन उपायों को शुरू करना भी शामिल है। नीति में वैयक्तिक वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए अन्य आव"यक कदमों पर भी ज़ोर दिया गया है।

और जबकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 2018 में दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना (सीएपी) जारी की गई है, जिसमें सड़कों पर वाहनों को कम करने की रणनीतियों, पार्किंग नीति तथा प्रवर्तन उपायों को तैयार करने और दिल्ली एवं एनसीआर में भीड़भाड़ तथा प्रदूषण को कम करने के लिए अंतिम रूप देने का भी विवरण है, जिसमें प्रवर्तन रणनीतियों तथा पार्किंग मूल्य निर्धारण नीति और पार्किंग प्रबंधन रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

और जबकि, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण ने दिनांक 18.12.2017 को ओ0ए0 संख्या 21/2014 में अपने आदे"ा, जिसका शीर्षक "वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ एवं अन्य" है, में यह भी निर्देश दिया है कि सरकार गंतव्य बसें उपलब्ध कराएगी तथा निजी वाहनों, जिसमें दोपहिया, कार एवं भारी वाहन शामिल हैं, के प्रयोग को कम करने का प्रत्येक प्रयास करेंगी। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के साथ शहर में सार्वजनिक परिवहन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है।

और जबकि, आईआईटी कानपुर की 2015 में वायु प्रदुषण तथा ग्रीनहाउस गैसों पर किए गए व्यापाक अध्ययन के अनुसार, सर्दियों में वाहन, पीएम 10 में लगभग 19.7% तथा पीएम 2.5 में 25.1% और गर्मियों में पीएम 10 में लगभग 6.4% तथा पीएम 2.5 में 8.5% हिस्सा देते हैं। इसके अतिरिक्त, वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर, शहर में वाहन, सीएच4 उत्सर्जन में लगभग 18%, एन$_2$ओ उत्सर्जन में 92% और सीओ2 उत्सर्जन में 30% हिस्सा देते हैं। वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर, वाहन टीसीओ2ई उत्सर्जन में 32% के योगदान के साथ प्रमुख 4 योगदानकर्ताओं में से एक हैं।

और जबकि, वाहन वायु प्रदुषण में इतना बड़ा योगदान देते हैं तथा यह नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से प्रभाव डालते है, खासकर बच्चों जैसी कमजोर आबादी, गंभीर वायु प्रदुषण के कारण होने वाली बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्याएं और त्वचीय की बीमारियां शामिल हैं।

और जबकि, दिल्ली में कुल लगभग 82.4 लाख वाहन पंजीकृत हैं। लगभग 1,06,037 वाहनों के लिए स्वीकृत पार्किंग क्षमता वाली लगभग 677 पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं (डीएमआरसी के 91 पार्किंग क्षेत्र में पार्क किए जा रहे वाहनों को छोड़कर)।

और जबकि, निजी वाहनों के प्रयोग को रोकने और सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, शहर में वाहन पार्किंग की उच्च दरों को लागू करने की आव"यकता है।

अब इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10.09.1992 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 667 (ई) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस–पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा जीआरएपी के अंतर्गत चरण III (गंभीर) और चरण IV (गंभीर+) लागू करने के अधीन, नीचे दिए गए निर्देश पहले से जारी किए गए हैं:

जब जीआरएपी चरण III–'गंभीर' वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 401–450 के बीच) तथा जीआरएपी चरण IV–' गंभीर+' वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 450 से ऊपर) के अंतर्गत परिकल्पित कार्रवाइयां दिल्ली में लागू होंगी, तो निजी वाहनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्राधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा पार्किंग भुल्क दोगुना कर दिया जाएगा।

सभी नगर निगमों/स्थानीय निकायों तथा डीएमआरसी अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकृत पार्किंग स्थलों पर निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी निर्देशों का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए.के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण)

संशोधन

दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2025

विषयः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अंतर्गत चरण III (गंभीर) तथा चरण IV (गंभीर+) लागू होने पर दिल्ली में मौजूदा वाहन पार्किंग शुल्क को दोगुना करने के निर्देशों में संशोधन। ।

फा0सं0 10(39)/पर्या0/2021/6827–43.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10 सितंबर, 1992 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 667 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा जीआरएपी चरण III और चरण IV के लागू होने के दौरान प्राधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना करने से संबंधित 4 फरवरी, 2025 की फा0सं0 फा0सं0 10(39)/पर्या0/2021/7150–66 के माध्यम से जारी निर्दे"ों के क्रम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निर्दे"ा देते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थलों, जो आवश्यक सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी तथा पार्क–एवं–राइड सुविधाएं प्रदान करते हैं, को पार्किंग शुल्क बढ़ाने से संबंधित उपरोक्त निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट दी जाएगी। यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th January, 2026

F. No.10(39)/Env/2021/8297.—In exercise of power conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, has issued the annexed direction vide order No.10(39)/Env/2021/7150-66 dated 4th February 2025 to double the existing vehicle parking fee in Delhi upon invoking of Stage III (Severe) and Stage IV (Severe+) under Graded Response Action Plan (GRAP) in Delhi, and further amendment to direction issued vide order No.10(39)/Env/2021/6827-43 dated 03rd December 2025, directing that parking spaces owned and managed by the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), which provide essential public transport connectivity and park-and-ride facilities, shall be exempted from the applicability of the aforesaid directions relating to the enhancement of parking charges.

The annexed direction and its amendment are hereby published in official gazetted for information of the general public.

By Order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (Environment)

ANNEXURE

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FOREST

Delhi, the 4th February, 2025

Subject: Directions u/s 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to double the existing vehicle parking fee in Delhi upon invoking of Stage III (Severe) and Stage IV (Severe+) under Graded Response Action Plan (GRAP) in Delhi

F. No.10 (39)/ENV/2021/ 7150-66.—Whereas, Delhi faces grave air pollution particularly in winter season and level of pollutants like Particulate Matter Concentration (PM2.5 and PM10) goes much beyond the prescribed standards for Ambient Air Quality.

And whereas, the whole Union Territory of Delhi has been declared as an Air Pollution Control area, under the sub section (1) of section 19 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide notification no. GSR 106 (E) dated 20.02.1987.

And whereas, the Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas has repeatedly taken up the matter relating to air pollution with Government of NCT of Delhi and various organizations and has issued various Directions, Advisories and Orders for effective implementation of measures for abating air pollution in NCR from time to time.

And whereas, the Commission For Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Areas, in exercise of its powers conferred upon it under section 12 of Commission For Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas Act 2021 has issued Direction No. 75 containing revised Graded Response Action Plan (GRAP) on 27.07.2023 vide Direction no. 75, which defines four stages of adverse air quality in Delhi viz. Stage I-Poor (AQI 201-300), Stage II-Very Poor AQI (301-400), Stage III-Severe (AQI 401-450), and Stage IV-Severe + (AQI > 450) respectively, thereafter followed by its amendment vide Direction No. 77 dt 06.10.2023 and revision dt 13.12.2024.

And whereas, CAQM vide its direction no. 75 read with direction no. 77 and its revision dt 13.12.2024 has directed to “Enhance vehicle Parking fees to discourage private transport” during the invoking of GRAP Stage II - ‘Very Poor’,

And whereas, CAQM Policy to Curb Policy to Curb Air Pollution in the National Capital Region, issued in July 2022, also provides guidelines for parking policy and various vehicle restraint measures for parking management including the introduction of Transport Demand Management measures with steep rise in parking fees. The policy also emphasise on more steps needed to restrain personal vehicles use.

And whereas, Comprehensive Action Plan (CAP) for air pollution control in Delhi & NCR, issued by Central Pollution Control Board (CPCB) under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 in 2018, also details out strategies to reduce vehicles on-road, Parking policy and enforcement measures to be prepared and finalized for implementation in Delhi and NCR to reduce congestion and pollution, that should include Enforcement strategies and Parking pricing policy and Parking management strategies.

And whereas, the Hon’ble National Green Tribunal vide it’s order dated 18.12.2017 in O.A. No. 21/2014 titled as “Vardhman Kaushik vs. Union of India & Ors also directs that the Government shall provide destination buses and make every effort to discourage the use of private vehicles, including two-wheelers, cars and heavy vehicles. Public transport is extensively being augmented in the City with the introduction of electric buses.

And whereas, as per the Comprehensive study on air pollution and greenhouse gases 2015 conducted by IIT Kanpur, vehicles contribute about 19.7% of PM10 and 25.1% of PM2.5 in winters and about 6.4% to PM10 and 8.5% to PM2.5 in summers. Further, vehicles contribute to about 18% of CH_4 emissions, 92% of N_2O emissions and 30% of CO_2 emissions in the City, based on annual emissions. Vehicles are one among the top 4 contributors of tCO2e emission with a contribution of 32%, based on annual emissions.

And whereas, vehicles make such a significant contribution to air pollution and it severely affects the health of citizens and especially the vulnerable population like children, are more susceptible to diseases occurring due to severe air pollution including respiratory problems and cutaneous diseases.

And whereas, total of about 82.4 lakhs vehicles are registered in Delhi. There are about 677 parking facilities available with approved parking capacity for about 1,06,037 number of vehicles (excluding vehicles being parked in 91 parking areas of DMRC).

And whereas, in order to discourage use of private vehicles and promote use of public transportation, there is a need to impose higher rates of vehicle parking in the City as a deterrent.

Now, therefore, in view of the above, in exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with notification No.SO 667 (E) issued by Ministry of Home Affairs, Government of

India dated 10.09.1992, following directions are hereby issued in advance and subject to invoking of Stage III (Severe) and Stage IV (Severe+) under GRAP by the Commission For Air Quality in National Capital Region and Adjoining Areas:

When actions envisaged under GRAP Stage III- 'Severe' Air Quality (AQI between 401 – 450) and GRAP Stage IV- 'Severe +' Air Quality (AQI above 450) gets activated in Delhi, the existing Parking Charges at authorized parking sites to be doubled to discourage use of private vehicles.

All municipal corporations/ local bodies and DMRC to ensure implementation of the directions at the authorized parking sites under their jurisdiction in letter and spirit.

The violation of the directions issued under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be punishable under Section 15 of the said Act.

By Order and in the Nname of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Pr. Secy. (Environment)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FOREST

Delhi, the 3rd December, 2025

AMENDMENT

Subject: Amendment to the Directions u/s 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to double the existing vehicle parking fee in Delhi upon invoking of Stage III (Severe) and Stage IV (Severe+) under Graded Response Action Plan (GRAP) in Delhi.

F. No. 10 (39)/ENV/2021/ 6827-43.—In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with Notification No. S.O. 667(E) dated 10th September, 1992, issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, and in continuation of the directions dated 4th February, 2025, issued vide No.F10(39)/Env/2021/7150-66, relating to the doubling of parking charges at authorized parking sites during the implementation of GRAP Stage III and Stage IV, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that parking spaces owned and managed by the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), which provide essential public transport connectivity and park-and-ride facilities, shall be exempted from the applicability of the aforesaid directions relating to the enhancement of parking charges.

This exemption shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Nname of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi
VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (Environment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.21 16:05:15 +05'30'